भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4182
दिनांक 19 अगस्त, 2025 /28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी दस सूत्री एजेंडा

4182. श्री दिलीप शइकीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) संबंधी किसी दस सूत्री एजेंडे पर विचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त एजेंडे में उल्लिखित मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त एजेंडा संबंधी बिंदुओं को लागू करने की दिशा में कोई कदम उठाए हैं; **और**

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) व (ख): माननीय प्रधानमंत्री ने नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर दस सूत्री एजेंडा प्रतिपादित किया है। यह सर्व-समावेशी एजेंडा आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और समुदाय की तैयारी से लेकर प्रौद्योगिकी के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कई मुद्दों को संबोधित करता है।

डीआरआर पर प्रधानमंत्री का दस सूत्रीय एजेंडा निम्नानुसार है : –

1. सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अवश्य अपनाना चाहिए।
2. जोखिम कवरेज की दिशा में गरीब परिवारों से लेकर एसएमई और बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर राष्ट्र तक सभी को शामिल किया जाना चाहिए।
3. आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक केंद्रीय भागीदारी होनी चाहिए।

4. प्रकृति और आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश ।

5. आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

6. आपदा संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना ।

7. सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना ।

8. आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण।

9. आपदाओं से सीखने के हर अवसर का उपयोग करना और उसे हासिल करने के लिए हर आपदा पर सबक अध्ययन करना ।

10. आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में अधिक एकजुटता लाना।

(ग) व (घ): डीआरआर पर प्रधान मंत्री के दस सूत्री एजेंडे की घोषणा के बाद से, सरकार ने इसके कार्यान्वयन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रधान मंत्री के दस सूत्री एजेंडे के कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न हैं।

***

<u>दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के लिए लो. स. अता. प्र. सं. 4182 के (ग) व (घ) का अनुलग्नक</u>

डीआरआर पर प्रधानमंत्री के दस सूत्री एजेंडे के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम:

1. सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अवश्य अपनाना चाहिए।

(i). राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) को दस सूत्री एजेंडे के साथ संरेखित किया गया है ताकि केंद्र और राज्य स्तर पर सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाया जा सके और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जा सके।

(ii). एनडीएमए ने डीआरआर के सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए विकास क्षेत्रों के लिए मानकों, कोड और उपनियमों के विकास का समर्थन किया है। एनडीएमए ने पाइपलाइनों का भूकंपीय डिज़ाइन, प्रदर्शन-आधारित डिज़ाइन और इस्पात भवनों के लिए नई संरचनाओं का भूकंपीय डिजाइन और विवरण के कोड और उपनियमों का मानकीकरण और उन्नयन तैयार किया गया है।

(iii). आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में किया गया था। अब तक 50 देशों और 8 अन्य संगठनों ने इसके चार्टर का समर्थन किया है और सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए हैं।

2. जोखिम कवरेज की दिशा में गरीब परिवारों से लेकर एसएमई और बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर राष्ट्र तक सभी को शामिल किया जाना चाहिए।

एनडीएमए, बीमा उत्पादों की डिजाइनिंग के लिए, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसीआरई) और भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) जैसे संस्थानों के साथ-साथ एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के साथ काम कर रहा है।

3. आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक केंद्रीय भागीदारी होनी चाहिए।

(i) आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को आपदा मित्र स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करके, देश में चक्रवात आश्रय प्रबंधन और रखरखाव समितियों (सीएसएमएमसी) के रखरखाव और प्रबंधन में 50% महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से बढ़ाया गया है। 95,888 प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों में से 18,986 महिलाएं हैं।

(ii) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की महिला टुकड़ियों को भी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) में तैनात किया जाता है।

4. प्रकृति और आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश ।

(i) एनडीएमए ने चक्रवात जोखिम शमन और मोचन के लिए एक वेब-आधारित डायनेमिक कम्पोजिट रिस्क एटलस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (वेब-डीसीआरए और डीएसएस टूल) विकसित किया है। इस उपकरण का उपयोग हाल के चक्रवातों जैसे बिपरजॉय (जून, 2023) और चक्रवात मिचौंग (दिसंबर, 2023) में सफलतापूर्वक किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) द्वारा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक बाढ़ संवेदनशील राज्यों के लिए और जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे तुलनात्मक रूप से कम बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम एटलस विकसित किया गया है।

(iii) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) ने एक डिजिटल एटलस विकसित किया है जो देश के विभिन्न हिस्सों की विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परियोजना की तैयारी में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है।

(iv) एनआरएससी ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए 28,043 हिमनद झीलों का एक व्यापक डेटासेट तैयार किया है और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दिल्ली का भूकंपीय माइक्रो-ज़ोनेशन तैयार किया है और कई अन्य शहरों के भूकंपीय माइक्रो-ज़ोनेशन के लिए सहायता की है।

5. आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

(i) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बनने वाले चक्रवातों की मॉनीटरिंग के लिए उपग्रहों, रडारों और परंपरागत एवं स्वचालित मौसम केंद्रों से प्राप्त गुणवत्तापूर्ण अवलोकनों के संचय का उपयोग करता है। इसमें इनसैट (आईएनएसएटी) 3डी, 3डीआर और एससीएटीएसएटी उपग्रह, तट के साथ डॉपलर वेदर रडार (डीडब्ल्यूआर) और तटीय स्वचालित मौसम केंद्र (एडब्ल्यूएस), हाई स्पीड विंड रिकॉर्डर, स्वचालित वर्षा गेज (एआरडी), मौसम विज्ञान संबंधी buoys (बॉय्स) और जहाज शामिल हैं।

(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अलर्ट प्रसारित करने के लिए कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली (SACHET) शुरू की गई हैं। हाल की आपदाओं में इस प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। सीएपी का उपयोग करके अब तक 8000 करोड़ से अधिक एसएमएस अलर्ट प्रसारित किए जा चुके हैं।

(iii) आपदा से संबंधित आपात कॉलों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) नंबर (112) शुरू किया गया, जिससे जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके।

6. आपदा संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना ।

भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (IUINDRR) की स्थापना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के तत्वावधान में, आपदा रेज़ीलिएस में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की भूमिका को उजागर करने के साथ डीआरआर के लिए मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करने और विभिन्न स्तरों पर इसके एकीकरण के लिए की गई है। IUINDRR शिक्षा और नीति के बीच इंटरफेस के लिए एक मंच प्रदान करता है।यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ज्ञान उत्पादों के सहयोगात्मक विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अब तक 327 विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क में शामिल हुए हैं।

7. सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना ।

आम लोगों तक प्रारंभिक चेतावनियाँ और अलर्ट को समय पर प्रसारित करने के लिए कई नए मोबाइल एप्लिकेशन जैसे दामिनी, मौसम, सचेत आदि विकसित किए गए हैं।

8. आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण।

(i) सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए बहु-जोखिम आपदा संभावित 350 जिलों में आपदा से बचाव हेतु 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 369.40 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली आपदा मित्र योजना शुरू की गई है। अब तक 95,888 आपदा मित्र स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ii) केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (बीएस एंड जी) के 2,37,326 स्वयंसेवकों को आपदा मोचन में प्रशिक्षित करने के लिए भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ प्रवण 315 जिलों को कवर करते हुए "युवा आपदा मित्र योजना" (वाईएएमएस) भी शुरू की है।

(iii) एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन/मोचन के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और सीबीआरएन के संबंध में सामुदायिक आपदा जागरूकता के विषय पर नियमित रुप से मॉक अभ्यास कार्यान्वित करता है। एनडीआरएफ, भारत के सभी 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील स्कूलों में बच्चों को आपदा मोचन पर प्रशिक्षण देने के लिए "स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी)" को भी कार्यान्वित कर रहा है।

9. आपदाओं से सीखने के हर अवसर का उपयोग करना और उसे हासिल करने के लिए हर आपदा पर सबक अध्ययन करना ।

(i) सीखे गए सबक का दस्तावेजीकरण करने, यथा चूरलमाला (वायनाड) भूस्खलन (2024); बिपरजॉय चक्रवात (जून 2023); बालासोर ट्रेन त्रासदी (2023); सिलचर (असम) बाढ़ (2022); कोविड प्रतिक्रिया में अच्छे अभ्यास (2022); गाजा चक्रवात (सितंबर 2019); तमिलनाडु बाढ़ (सितंबर 2017), लिए क्षेत्रीय दौरे किए गए हैं।

(ii) एनडीएमए ने विभिन्न विषयगत और क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर जोखिम विशिष्ट आपदा के प्रबंधन के लिए अड़तीस (38) दिशानिर्देश जारी किए हैं।

10. आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में अधिक एकजुटता लाना।

(i) सरकार ने कई क्षेत्रीय संगठनों जैसे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के तहत सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया है। इन संगठनों के माध्यम से, सरकार ने संयुक्त अभ्यास आयोजित करने के साथ-साथ आपदा प्रबंधन में अच्छी प्रथाओं को साझा करने की सुगमता प्रदान की है।

(ii) सरकार आपदा प्रभावित देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान कर रही है। 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना के तहत, भारत सरकार ने फरवरी, 2023 में बड़े पैमाने पर भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया और जुलाई, 2025 में भूकंप से प्रभावित म्यांमार को राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और चिकित्सा टीमों को भेजकर तत्काल सहायता प्रदान की है।

***